

सं.सी-13013/शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/म.प्र.पू/1742-1749

भारत सरकार

Government of India

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

Ministry of Statistics and Programme Implementation

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

National Statistical Office (Field Operation Division)

जे.डी.ए.बिल्डिंग, प्रथम तल/J.D.A Building, First Floor,
मदन महल, जबलपुर-482001/Madan Mahal, Jabalpur-482001.

दिनांक/Dated: 16.06.2023.

कार्यालय ज्ञापन


मुख्यालय के दिनांक 09.06.2023 के पत्र सं. H-13016/2/2023-O&M-(E-584 73) के अनुपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में POSH अधिनियम, 2013 में निहित दिशा-निर्देशों के तहत निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:

1.	श्रीमती निकिता तिवारी, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी, रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.), क्षे.का. जबलपुर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती डॉ. रीता चौहान, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, सेंट अलॉयसियस कॉलेज, जबलपुर	सदस्य
3.	श्री दीपक पाण्डेय, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी, रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.), क्षे.का. जबलपुर	सदस्य

2. उक्त समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कर्मचारियों के शिकायतों पर विचार करेगी। यौन उत्पीड़न के मामलों में ऐसे अवांछित (प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा) निम्नलिखित व्यवहार शामिल हो सकते हैं:

- Physical contact and advances;
- Demand or request for sexual favours;
- Sexually coloured remarks;
- Showing any pornography; or
- Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

क्षेत्रीय प्रमुख के अनुमोदन से जारी।


(के. एस. मरकाम)

सहायक निदेशक/कार्यालय प्रमुख

सेवा में,

- प्रभारी/वरि.सां.अ.(स्था.उ.क्षे.का.), रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.), क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर।
- प्रभारी/वरि.सां.अ.(उ.क्षे.का.), रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.), उप क्षेत्रीय कार्यालय रीवा।
- प्रभारी/वरि.सां.अ.(उ.क्षे.का.), रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.), उप क्षेत्रीय कार्यालय सागर।

प्रतिलिपि:

- समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य।
- उप महानिदेशक (प्रशासन), रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.), मुख्यालय दिल्ली।
- उप महानिदेशक (मध्यांचल), रा.सां.का. (क्षे.सं.प्र.), लखनऊ।